सं० ओ० वि०/यमुना/87-97/42348.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2), चीफ इन्जिनियर, हाईडल प्रोजैक्ट, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, यमुनानगर के श्रमिक श्री नौराती राम, पुत्र श्री रणजीत सिंह, गांव कन्जनु, डा० झूबाल, जिला कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री नौरती राम की सेवा समाप्त की गई है या उसने कार्य से स्वयं ही गैर-हाजिर हो कर नौकरी से अपना पूर्णग्रहणाधिकार (लियन) खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ डी/131-87/42355.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० स्काईटोन इलैक्ट्रीकल्स इण्डिया, 43, एन० आई० टी०, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री शिव बदन मार्फत श्री सत्यनारायण शर्मा, जिला न्यायालय परिसर सैक्टर 15, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री शिव बदन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ.डी./140-87/42362.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सिदाना इन्जीनियरिंग वर्कस प्लाट नं० 171, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सोने लाल, मार्फत श्री मुनीर कन्ट्रैक्टर घटवारी फार्म सैक्टर 25, बल्लबगढ़, (फरीदाबाद) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री सोने लाल, की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग-पत्र दे कर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दू पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?